पटना में दिनांक–09 फरवरी, 2016 मंगलवार को अपराह्न 04:00 बजे हुई मंत्रिपरिषद् की बैठक की कार्यवाही। मुख्यमंत्री ने बैठक की अध्यक्षता की।

निम्नलिखित निर्णय लिये गये :–

ऊर्जा विभाग

1. बिहार स्टेट पावर (हो०) कम्पनी लि० के अनुषंगी वितरण कम्पनियों यथा नार्थ बिहार पावर डिस्ट्रीब्यूशन कम्पनी लि० एवं साउथ बिहार पावर डिस्ट्रीब्यूशन कम्पनी लि० को विद्युत क्रय के मद में, ऊर्जा प्रतिष्ठानों के विद्युत विपत्रों के भुगतान हेतु सब्सिडी के रूप में वित्तीय वर्ष 2015–2016 के द्वितीय अनुपूरक में प्रावधानित राशि 200.00 करोड़ रूपये स्वीकृत करते हुए राशि बिहार स्टेट पावर (होल्डिंग) कम्पनी लिमिटेड को उपलब्ध कराने की स्वीकृति प्रदान करने के संबंध में।

1. स्वीकृत।

ऊर्जा विभाग

2. पूर्ववर्ती बिहार राज्य विद्युत बोर्ड के पदाधिकारियों एवं कर्मचारियों का दिनांक–31.10.2012 तक की अवधि में अनफण्डेड टर्मिनल बेनिफिट दायित्व के विरूद्ध वित्तीय वर्ष 2015–16 के लिए अनुमानित देय वार्षिक दायित्व के भुगतान हेतु वित्तीय वर्ष 2015–16 में अतिरिक्त 459.45 करोड़ रूपये बिहार स्टेट पावर (होल्डिंग) कम्पनी लिमिटेड को दो किस्तों में उपलब्ध कराने की स्वीकृति प्रदान करने के संबंध में।

2. स्वीकृत।

अल्पसंख्यक कल्याण विभाग

3. केन्द्र प्रायोजित अल्पसंख्यकों के बहुक्षेत्रक विकास योजना के तहत निर्माणाधीन 01 इकाई पॉलीटेक्निक कॉलेज भवन/छात्रावास भवन निर्माण हेतु केन्द्र सरकार के द्वारा प्रति इकाई 1230.00 लाख रूपये (बारह करोड़ तीस लाख रूपये) के दर से स्वीकृत एवं 2270.00 लाख (बाईस करोड़ सत्तर लाख रूपये) विशेष राज्यांश अर्थात् कुल 3500.00 लाख (पैंतीस करोड़ रूपये) की प्रशासनिक स्वीकृति के अतिरिक्त वर्त्तमान अनुसूची दर के आधार पर अन्तर राशि 1332.92 लाख रूपये (तेरह करोड़ बत्तीस लाख बिरान्वे हजार रूपये) अर्थात कुल 4832.92 लाख रूपये (अड़तालीस करोड़ बत्तीस लाख बिरान्वे हजार रूपये) की पुनरीक्षित प्रशासनिक स्वीकृति के संबंध में।

3. स्वीकृत।

कला, संस्कृति एवं युवा विभाग

4. बिहार ललित कला अकादमी, पटना को वित्तीय वर्ष 2015–16 में स्थापना व्यय हेतु ` 30,00,000/–(तीस लाख रूपये) मात्र सहायक अनुदान की स्वीकृति। — **4. स्वीकृत।**

कृषि विभाग

5. नेशनल मिशन ऑन एग्रीकल्चर एक्सटेंशन एण्ड टेक्नोलॉजी अन्तर्गत "सब मिशन ऑन सीड एण्ड प्लांटिंग मेटेरियल" योजना वर्ष 2015–16 हेतु केन्द्रांश 2083.45 लाख रू० एवं राज्यांश 434.49 लाख रू० कुल 2517.94 लाख रू० की योजना कार्यान्वयन स्वीकृति। — **5. स्वीकृत।**

ग्रामीण कार्य विभाग

6. किशनगंज जिले में 650 कि०मी० ग्रामीण सड़कों का Hybrid Annuity Model के आधार पर निर्माण एवं अनुरक्षण कराने हेतु सैद्धान्तिक सहमति तथा DPR तैयार करने से लेकर निविदा प्रक्रिया का प्रबंधन करने के लिए Transaction Advisor की नियुक्ति के संबंध में। — **6. स्वीकृत।**

गृह (विशेष) विभाग

8. जे०पी० सेनानी सम्मान योजना के तहत सेनानियों को चालू वित्तीय वर्ष 2015–16 में पेंशन भुगतान हेतु बिहार आकस्मिकता निधि से 7,52,15,000/–(सात करोड़ बावन लाख पन्द्रह हजार) रूपये मात्र अग्रिम की स्वीकृति के संबंध में। — **8. स्वीकृत।**

गन्ना उद्योग विभाग

9. माननीय उच्च न्यायालय, पटना द्वारा दिनांक–13.01. 2016 को MJC No. 3073/2013 (Arising out of CWJC No.-20290/2010) (Bhrigurashan mahto & Ors. Vs. State of Bihar & Ors.) में पारित आदेश के आलोक में बिहार राज्य चीनी निगम की सुगौली इकाई के अस्थायी कर्मियों का बकाया वेतनादि का भुगतान हेतु बिहार आकस्मिकता निधि से गैर योजनान्तर्गत ऋण एवं अग्रिम मद में 33,94,000.00 (तैंतीस लाख चौरान्वे हजार) रूपये की स्वीकृति। — **9. स्वीकृत।**

कृषि विभाग

10. राष्ट्रीय संधारणीय कृषि मिशन योजना अंतर्गत वर्ष 2015–16 में केन्द्रांश–493.00 एवं राज्यांश–212.00 लाख कुल 705.00 लाख रूपये (सात करोड़ पाँच लाख रूपये) की लागत पर मृदा स्वास्थ्य प्रबंधन (SHM) योजना कार्यान्वयन की स्वीकृति। — **10. स्वीकृत।**

कृषि विभाग

11. डॉ० कलाम कृषि महाविद्यालय, किशनगंज के फर्नीचर/साज–सज्जा हेतु 433.00 लाख रूपये (चार करोड़ तैंतीस लाख रूपये) सहायक अनुदान की स्वीकृति।

11. **स्वीकृत।**

कृषि विभाग

12. (I) वर्ष 2015–16 में राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन योजना के अंतर्गत चावल, गेहूँ, दलहन, अतिरिक्त दलहन एवं कोर्स सिरियल कार्यक्रम के लिये केन्द्रांश मद में 8748.64 लाख रूपये एवं राज्यांश मद में 5832.42 लाख रूपये तथा वाणिज्यिक फसल अंतर्गत जूट (पाट) एवं गन्ना फसल कार्यक्रम के लिए केन्द्रांश मद में 141.88 लाख रूपये एवं राज्यांश मद में 94.58 लाख रूपये, इस प्रकार केन्द्रांश मद में कुल 8890.52 लाख रूपये (अट्ठासी करोड़ नब्बे लाख बावन हजार) तथा राज्यांश मद में कुल 5927.00 लाख रूपये (उनसठ करोड़ सताईस लाख) इस प्रकार कुल 14817.52 (एक सो अड़तालीस करोड़ सत्रह लाख बावन हजार) रूपये की लागत से योजना कार्यान्वयन की स्वीकृति तथा इसके अधीन केन्द्रांश मद में तत्काल 8291.00 लाख रूपये (बेरासी करोड़ एकान्बे लाख) एवं राज्यांश मद में 5927.00 लाख रूपये (उनसठ करोड़ सताईस लाख) कुल 14218.00 लाख रूपये (एक सौ बयालीस करोड़ अट्ठारह लाख) की राशि की निकासी एवं व्यय की स्वीकृति।

(II) बीज अनुदान मद में 900.00 लाख (नौ करोड़) रूपये एवं कृषि यांत्रिकरण मद में 172.52 लाख रूपये से इस प्रकार कुल 1072.52 लाख रूपये की लागत से राज्य योजना अंतर्गत अतिरिक्त सहायता से योजना कार्यान्वयन की स्वीकृति तथा इसके फलस्वरूप बीज अनुदान मद में 900.00 लाख रूपये एवं कृषि यांत्रिकरण मद में 172.52 लाख रूपये, इस प्रकार कुल 1072.52 लाख (दस करोड़ बहत्तर लाख बावन हजार) रूपये राशि की निकासी एवं व्यय की स्वीकृति (अनुसूची–I के अनुसार)।

(III) राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन योजना के तहत परियोजना प्रबंधन दल अंतर्गत संविदा पर नियोजित एवं कार्यरत राज्य एवं जिला स्तरीय परामर्शी तथा तकनीकी सहायकों का वर्ष 2015–16 के लिये सेवा अवधि विस्तार की स्वीकृति।

12. **स्वीकृत।**

जल संसाधन विभाग

13. भागलपुर जिलान्तर्गत गंगा नदी के बांये तट पर खैरपुर, राघोपुर अकिदतपुर एवं शंकरपुर ग्रामों के निकट कटाव निरोधक कार्य तथा ईस्माइलपुर–बिन्दटोली तटबंध के स्परों का पुनर्स्थापन कार्य (प्राक्कलित राशि–4479.29 लाख) की प्रशासनिक एवं व्यय की स्वीकृति। — **13. स्वीकृत।**

शिक्षा विभाग

14. राज्य के 10+2 माध्यमिक शिक्षा के अन्तर्गत जिला परिषद् एवं विभिन्न नगर निकायों में नियोजित 10814 (दस हजार आठ सौ चौदह) उच्च माध्यमिक शिक्षकों के वर्त्तमान वित्तीय वर्ष 2015–16 में वेतन भुगतान हेतु ` 1,29,76,80,000/–(एक अरब उनतीस करोड़ छिहत्तर लाख अस्सी हजार) रूपये मात्र की स्वीकृति एवं तत्काल ` 83,69,65,707/–(तेरासी करोड़ उनहत्तर लाख पैंसठ हजार सात सौ सात) रूपये की विमुक्ति एवं व्यय की स्वीकृति के संबंध में। — **14. स्वीकृत।**

शिक्षा विभाग

15. वित्तीय वर्ष 2015–16 में योजनान्तर्गत दक्षिण भारतीय भाषा संस्थान, पटना के कर्मचारियों का माह मार्च, 2015 से माह फरवरी 2016 तक का वेतनादि भुगतान हेतु कुल रूपये 30,00,000/–(तीस लाख रू०) मात्र सहायक अनुदान व्यय की स्वीकृति के संबंध में। — **15. स्वीकृत।**

शिक्षा विभाग

16. राज्य के माध्यमिक शिक्षा के अन्तर्गत जिला परिषद् एवं विभिन्न नगर निकायों में नियोजित 1947 पुस्तकालयाध्यक्षों के चालू वित्तीय वर्ष 2015–16 में वेतन भुगतान हेतु प्रावधानित राशि ` 21,02,76,000/–(इक्कीस करोड़ दो लाख छिहत्तर हजार) रूपये मात्र की स्वीकृति एवं तत्काल ` 13,32,19,139/–(तेरह करोड़ बत्तीस लाख उन्नीस हजार एक सौ उनचालीस) रूपये की विमुक्ति एवं व्यय की स्वीकृति के संबंध में। — **16. स्वीकृत।**

शिक्षा विभाग

17. वित्तीय वर्ष 2015–16 में राज्य योजनान्तर्गत जगजीवन राम संसदीय अध्ययन एवं राजनीतिक शोध संस्थान, पटना के भवन निर्माण योजना हेतु कुल रू० 1,00,00,000/–(एक करोड़) मात्र व्यय की स्वीकृति प्रदान करने के संबंध में। — **17. स्वीकृत।**

शिक्षा विभाग

18. राज्य योजनान्तर्गत वित्तीय वर्ष 2015–16 में चन्द्रगुप्त प्रबंध संस्थान, पटना के स्थापना एवं अन्य संचालनात्मक व्ययों के निमित्त कुल रू० 6,88,00,000/–(छः करोड़ अठासी लाख) मात्र सहायक अनुदान व्यय की स्वीकृति। — 18 **स्वीकृत।**

शिक्षा विभाग

19. वित्तीय वर्ष 2015–16 में सर्व शिक्षा अभियान योजनान्तर्गत केन्द्रांश के द्वितीय किस्त के रूप में प्राप्त राशि ` 6,57,52,01,800/–(छः अरब संतावन करोड़ बावन लाख एक हजार आठ सौ रूपये) के शेष राशि ` 8,52,01,800/–(आठ करोड़ बावन लाख एक हजार आठ सौ रूपये) की सहायक अनुदान मद में व्यय की स्वीकृति एवं विमुक्ति। — 19 **स्वीकृत।**

पर्यावरण एवं वन विभाग

20. वित्तीय वर्ष 2015–16 में राज्य वन प्रशिक्षण संस्थान, गया के लिए कुल रूपये 25.82928 लाख (पच्चीस लाख बेरासी हजार नौ सौ अठाईस रू०) मात्र के अनुमानित वार्षिक स्थापना व्यय पर विभिन्न कोटि के कुल 14 पदों के सृजन की स्वीकृति एवं Out Sourcing के माध्यम से कम्प्यूटर ऑपरेटर, केयर टेकर, जीप चालक, चालक, माली, कार्यालय परिचारी, चौकीदार एवं सफाई कर्मी (कुल 17 कर्मियों) की सेवायें प्राप्त करने की स्वीकृति का प्रस्ताव। — 20 **स्वीकृत।**

स्वास्थ्य विभाग

21. वर्त्तमान वित्तीय वर्ष 2015–16 में सहायक अनुदान के रूप में इंदिरा गाँधी आयुर्विज्ञान संस्थान, शेखपुरा पटना को मेडिकल कॉलेज एवं नर्सिंग कॉलेज के भवनों के निर्माण हेतु राज्य योजना मद से रू० 5,00,00,000/–(रूपये पाँच करोड़) मात्र के व्यय की स्वीकृति। — 21 **स्वीकृत।**

स्वास्थ्य विभाग

22. बिहार राज्य मानसिक स्वास्थ्य एवं सहबद्ध विज्ञान संस्थान, कोईलवर, भोजपुर को वित्तीय वर्ष 2015–2016 में कुल ` 2,00,00,000/–(दो करोड़ रू०) मात्र सहायक अनुदान वेतनादि की राशि के लिए व्यय की स्वीकृति। — 22 **स्वीकृत।**

राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग

(भू–अभिलेख एवं परिमाप निदेशालय)

23.	बिहार विशेष सर्वेक्षण एवं बंदोबस्त अधिनियम, 2011 के आलोक में आगामी तीन वर्षों यथा 2015–16, 2016–17 एवं 2017–18 के लिए राज्य के 25 जिलों में योजना के क्रियान्वयन हेतु 25 बंदोबस्त पदाधिकारी एवं 25 प्रभारी पदाधिकारी के अस्थायी पदों का सृजन की स्वीकृति।	23	स्वीकृत।

सूचना प्रावैधिकी विभाग

24.	बिहार राज्य इलेक्ट्रॉनिक्स विकास निगम लि० का अधिकृत पूंजी (Authorized Capital) को 5 करोड़ से बढ़ाकर 25 करोड़ करने की स्वीकृति के संबंध में।	24	स्वीकृत।

वित्त विभाग

25.	बिहार सामान्य भविष्य निधि नियमावली के नियम–15 (1) (a) (iv) के प्रावधान में संशोधन के संबंध में।	25	स्वीकृत।

ऊर्जा विभाग

26.	विद्युत अधिनियम, 2003 के प्रावधानों के अन्तर्गत बिहार राज्य विद्युत बोर्ड की पुनर्गठित पाँच कम्पनियों के अधिकृत पूँजी में बढ़ोत्तरी करने की स्वीकृति प्रदान करने के संबंध में।	26	स्वीकृत।

पथ निर्माण विभाग

27.	वित्तीय वर्ष 2015–16 में मुख्य शीर्ष–5054–सड़कों तथा सेतुओं पर पुँजीगत परिव्यय के उपशीर्ष–0102–वृहद सड़कें विपत्र कोड–P5054033370102–विषय शीर्ष–53 01 मुख्य निर्माण कार्य में बिहार आकस्मिकता निधि से कुल ` 1,84,00,00,000/–(एक अरब चौरासी करोड़ रूपये) मात्र अग्रिम प्राप्त करने एवं उसकी प्रतिपूर्ति तृतीय अनुपूरक आगणन से करने की स्वीकृति।	27	स्वीकृत।

पथ निर्माण विभाग

28.	संविदा के आधार पर पथ निर्माण विभाग के अधीन नियोजित कुल 98 (अंठानवे) कनीय अभियंता (असैनिक) का अगले एक वर्ष तक पुनर्नियोजन के संबंध में।	28	स्वीकृत।

पर्यटन विभाग

29. पर्यटन मंत्रालय, भारत सरकार के स्वीकृत्यादेश 5–प्रसाद (08) 2015 दिनांक–04.01.2016 द्वारा पटना जिलान्तर्गत पटना साहिब के विकास हेतु प्रसाद योजनान्तर्गत विभिन्न कार्यों के लिए 4153.56 लाख रूपये की स्वीकृति तथा 830.71 लाख रूपये की विमुक्ति के आलोक में प्रथम किस्त के रूप में बिहार आकस्मिकता निधि से 830.71 लाख रूपये (आठ करोड़ तीस लाख एकहत्तर हजार) मात्र उपलब्ध कराने की स्वीकृति। — **29** स्वीकृत।

पंचायती राज विभाग

30. पंचायत आम निर्वाचन, 2016 हेतु मतपत्रों के मुद्रण के संबंध में। — **30** स्वीकृत।

नगर विकास एवं आवास विभाग

31. बरारी, भागलपुर में आवास बोर्ड की आवासीय कॉलोनी में उपलब्ध 3.75 एकड़ भू–भाग पर ई॰पी॰सी॰ कॉन्ट्रेक्ट के आधार पर रू० 101.55 करोड़ (एक सौ एक करोड़ पचपन लाख रूपये मात्र) की लागत से 272 फ्लैटों के निर्माण की योजना हेतु प्रशासनिक स्वीकृति के संबंध में। — **31** स्वीकृत।

नगर विकास एवं आवास विभाग

32. मुख्यमंत्री आदर्श निकाय प्रोत्साहन योजना की स्वीकृति के संबंध में। — **32** स्वीकृत।

वाणिज्य–कर विभाग

33. विभागीय सॉफ्टवेयर के लिए वित्तीय वर्ष 2015–16 से आगामी एक वर्ष हेतु टी०सी०एस० के वार्षिक रख–रखाव (Annual Maintenance Charges (AMC)) के नवीकरण के लिए बेल्ट्रॉन के प्रस्ताव पर नामांकन के आधार पर टी०सी०एस० को देय कुल राशि रू० 94.86 लाख (चौरानवे लाख छियासी हजार मात्र) तथा इस राशि पर बेल्ट्रॉन को देय मार्जिन एवं सेवा कर की राशि की स्वीकृति देने के संबंध में। — **33** स्वीकृत।

राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग

34. शेखपुरा जिलान्तर्गत शेखोपुरसराय अंचल के मौजा–नीमी, थाना नं०–10, खाता सं०–528, खेसरा सं०–1877 एवं 1851, रकबा क्रमशः 8, 13 एवं 3.99 एकड़ कुल–12.12 एकड़ किस्म गैरमजरूआ आम नदी भूमि प्रखण्ड–सह–अंचल कार्यालय–सह–आवासीय भवन के निर्माण हेतु ग्रामीण विकास विभाग को अन्तर्विभागीय निःशुल्क हस्तान्तरण के संबंध में। — **34** स्वीकृत।

अल्पसंख्यक कल्याण विभाग

35. राज्य सरकार द्वारा राष्ट्रीय अल्पसंख्यक विकास एवं वित्त निगम, नई दिल्ली को 2072.43 लाख रूपये इक्यूटी पार्टिशिपेसन के मद में की गई निवेश एवं तत्संबंधी राष्ट्रीय निगम द्वारा निर्गत की गई राज्यपाल के नाम शेयर सर्टिफिकेट को बिहार राज्य अल्पसंख्यक वित्तीय निगम पर बकाये ऋण की राशि 2800.00 लाख रूपये में समायोजित करने हेतु उनके Article of Association में निहित प्रावधान के आलोक में Share Certificate Surrender करने अथवा नामिनी के नाम पर शेयर सर्टिफिकेट को स्थान्तरित करने एवं राष्ट्रीय अल्पसंख्यक विकास एवं वित्त निगम, नई दिल्ली के अवशेष बकाये ऋण राशि के भुगतान करने हेतु 700. 00 लाख रूपये वित्तीय वर्ष 2015–16 में बिहार राज्य आकस्मिकता निधि से प्राप्त कर व्यय करने की स्वीकृति के संबंध में। — **35** स्वीकृत।

कला, संस्कृति एवं युवा विभाग

36. बिहार संगीत नाटक अकादमी, पटना को वित्तीय वर्ष 2015–16 में स्थापना व्यय हेतु ` 40,00,000/– (चालीस लाख रूपये) मात्र सहायक अनुदान की स्वीकृति। — **36** स्वीकृत।

समाज कल्याण विभाग

(आई॰सी॰डी॰एस॰ निदेशालय)

37. वित्तीय वर्ष 2015–16 में समेकित बाल विकास (आई॰सी॰डी॰एस॰) योजना के अन्तर्गत संचालित विभिन्न योजनाएँ हेतु योजना एवं विकास विभाग से प्राप्त आंतरिक सामंजन के आलोक में एकीकृत बाल विकास सेवाएँ (स्थापना एवं सबला) में राज्य योजना–केन्द्रांश मद में ` 42690.48 लाख एवं राज्य योजना–राज्यांश मद में इंदिरा गाँधी मातृत्व सहयोग योजना सहित राष्ट्रीय महिला शक्तिकरण मिशन एवं किशोरियों के सशक्तिकरण हेतु राजीव गाँधी स्कीम (सबला) मद में ` 5797.61 लाख अर्थात प्रर्त्यपण के विरूद्ध कुल ` 48488.09 लाख मात्र बिहार आकस्मिकता निधि से अग्रिम प्राप्त कर व्यय करने की स्वीकृति। — **37** स्वीकृत।

जल संसाधन विभाग

38. जल संसाधन विभाग के अधीन मांग संख्या–49 के तहत योजना मुख्य शीर्ष 4700–मुख्य सिंचाई पर पूंजीगत परिव्यय, उपमुख्य शीर्ष–02 गंडक वेसिन की सिंचाई परियोजनाएँ (अवाणिज्यिक), लघु शीर्ष–051–निर्माण, उपशीर्ष–0101–गंड बेसिन की सिंचाई परियोजनाएँ (कार्य), विपत्र कोड P4700020510101 के अन्तर्गत 21.00 करोड़, योजना मुख्य शीर्ष 4700–मुख्य सिंचाई पर पूंजीगत परिव्यय, उपमुख्य शीर्ष–03 सोन बेसीन की सिंचाई परियोजनाएँ (अवाणिज्यिक), लघु शीर्ष–051–निर्माण, उपशीर्ष–0101–सोन बेसिन की सिंचाई परियोजनाएँ (कार्य) विपत्र कोड P4700030510101 के अन्तर्गत 24.21 करोड़, मुख्यशीर्ष–2705–कमाण्ड क्षेत्र विकास, उप मुख्यशीर्ष–00–लघुशीर्ष–001–निदेशन तथा प्रशासन उपशीर्ष–0303–त्वरित सिंचाई लाभ तथा बाढ़ प्रबंधन कार्यक्रम (ए॰आई॰बी॰पी॰) तथा जल संसाधन के अन्य कार्यक्रम, विपत्र कोड 270500000303 के अधीन 4.00 करोड़ तथा बाढ़ नियंत्रण तटबंध सड़क परियोजनाऐं (कार्य) (नाबार्ड सम्पोषित योजना), विपत्र कोड– P4711010510104 के अन्तर्गत 18.65 करोड़ यानी कुल 67.86 करोड़ की राशि बिहार आकस्मिकता निधि से अग्रिम की स्वीकृति। — **38** **स्वीकृत।**

जल संसाधन विभाग

39. जल संसाधन विभाग में वर्ष 2012 में संविदा के आधार पर नियोजित 114 कनीय अभियंता (असैनिक) में से वर्त्तमान में कार्यरत 86 कनीय अभियंता (असैनिक) एवं वर्ष 2013 में नियोजित एक कनीय अभियंता (असैनिक) कुल 87 कनीय अभियंता (असैनिक) का एक और अतिरिक्त वर्ष के लिए नियोजन। — **39** **स्वीकृत।**

पिछड़ा वर्ग एवं अति पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग

40. वित्तीय वर्ष 2015–16 में केन्द्र प्रायोजित योजना (शत प्रतिशत) के अन्तर्गत अन्य पिछड़े वर्गों के छात्र/छात्राओं के लिए प्रवेशिकोत्तर छात्रवृत्ति के भुगतान हेतु केन्द्र सरकार द्वारा विमुक्त राशि ` 7205. 00 लाख (रूपये बहत्तर करोड़ पाँच लाख) एवं विगत वर्ष की अवशेष राशि ` 4772.83 लाख (रूपये सैंतालिस करोड़ बहत्तर लाख तिरासी हजार) मात्र कुल राशि ` 11977.83 लाख (रूपये एक अरब उन्नीस करोड़ सतहत्तर लाख तिरासी हजार) तथा प्री मैट्रिक छात्रवृत्ति (50:50) के अन्तर्गत विमुक्त राशि ` 1200.00 लाख (रूपये बारह करोड़) एवं पूर्व की अवशेष राशि ` 822.00 लाख (रूपये आठ करोड़ बाईस लाख) मात्र कुल राशि ` 2022.00 लाख (रूपये बीस करोड़ बाईस लाख) अर्थात उक्त दोनों योजनाओं के लिए कुल राशि ` 13999.83 लाख (रूपये एक अरब उनचालीस करोड़ निनानवे लाख तिरासी हजार) छात्रवृत्ति भुगतान के लिए बिहार आकस्मिकता निधि से अग्रिम लेकर व्यय की स्वीकृति का प्रस्ताव। — **40** **स्वीकृत।**

पिछड़ा वर्ग एवं अति पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग

41. वित्तीय वर्ष 2015–16 में राज्य योजनान्तर्गत अन्य पिछड़े वर्गो के छात्र/छात्राओं को शेष छः माह के प्री मैट्रिक छात्रवृत्ति के भुगतान हेतु योजना एवं विकास विभाग द्वारा प्राप्त अतिरिक्त योजना उद्व्यय ` 500.00 करोड़ (रूपये पाँच अरब) को राज्य सरकार द्वारा निर्धारित दर पर छात्रवृत्ति भुगतान के लिए बिहार आकस्मिकता निधि से अग्रिम लेकर व्यय की स्वीकृति का प्रस्ताव। — **41** **स्वीकृत।**

खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग

42. नेशनल सोशल असिसटेन्स प्रोग्राम योजना के अन्तर्गत वित्तीय वर्ष 2015–16 में भारत सरकार द्वारा विमुक्त राशि 1081.07 लाख (दस करोड़ एकासी लाख सात हजार) रूपये का बिहार आकस्मिकता निधि से अग्रिम निकासी एवं व्यय की स्वीकृति के संबंध में। — **42** **स्वीकृत।**

समाज कल्याण विभाग

(सामाजिक सुरक्षा एवं निःशक्तता निदेशालय)

43. मुख्यमंत्री निःशक्तजन विवाह प्रोत्साहन अनुदान योजना के कार्यान्वयन एवं इसके अन्तर्गत चालू वित्तीय वर्ष 2015–16 में रू० 50.00 लाख (पचास लाख रूपये) के व्यय की स्वीकृति। — **43** **स्वीकृत।**

गन्ना उद्योग विभाग

44. वर्ष 2015–16 में राज्य योजना अंतर्गत कृषि रोड मैप के तहत मुख्यमंत्री गन्ना विकास कार्यक्रम का कुल 2500.00 लाख रू० (पच्चीस करोड़ रू०) मात्र की लागत पर कार्यान्वयन हेतु व्यय की स्वीकृति। | 44 स्वीकृत।

वित्त विभाग

46. निबंधन, उत्पाद एवं मद्य निषेध विभाग के अधीन बिहार निबंधन लिपिक संवर्ग के प्रोन्नति के पद प्रधान लिपिक/अभिलेखपाल एवं कार्यालय अधीक्षक के वेतनमान के संशोधन के संबंध में। | 46 स्वीकृत।

उद्योग विभाग

47. वित्तीय वर्ष 2015–16 में राज्यान्तर्गत हैण्डलूम महोत्सव/सेमिनार/प्रशिक्षण आयोजन के लिए एक करोड़ रूपये मात्र सहायक अनुदान की स्वीकृति का प्रस्ताव। | 47 स्वीकृत।

नगर विकास एवं आवास विभाग

48. पटना मेट्रो रेल प्रोजेक्ट का कार्यान्वयन SPV Model में अनुमानित लागत 16960.00 करोड़ रू० (सोलह हजार नौ सौ साठ करोड़ रू०) (सभी करों सहित) पर कराने के लिए परियोजना प्रस्ताव को केन्द्र सरकार, JICA/ADB को भेजने हेतु सैद्धांतिक प्रशासनिक स्वीकृति। | 48 स्वीकृत।

पर्यावरण एवं वन विभाग

49. वित्तीय वर्ष 2015–16 में मांग संख्या–19, मुख्यशीर्ष–2406–वानिकी तथा वन्य प्राणी के अन्तर्गत विपत्र कोड–P2406041010201 के विषय शीर्ष–0201–मजदूरी के अन्तर्गत ` 365.526 लाख, विपत्र कोड–P2406041010301 के विषय शीर्ष–0201–मजदूरी के अन्तर्गत ` 334.351 लाख तथा विपत्र कोड–P2406021100223 के विषय शीर्ष–2701–लघु कार्य के अन्तर्गत ` 125.692 लाख अर्थात कुल केन्द्रांश+ राज्यांश ` 825.569 लाख (आठ करोड़ पच्चीस लाख छप्पन हजार नौ सौ रू०) अतिरिक्त राशि की बिहार राज्य आकस्मिकता निधि से अग्रिम की स्वीकृति। | 49 स्वीकृत।

कला, संस्कृति एवं युवा विभाग

50.	भारतीय नृत्य कला मंदिर, पटना को स्थापना व्यय के लिए वित्तीय वर्ष 2015–16 में ` 30,00,000/–(तीस लाख रूपये) मात्र सहायक अनुदान की स्वीकृति।	**50**	**स्वीकृत।**

शिक्षा विभाग

51.	वित्तीय वर्ष 2015–16 में राज्य योजना अन्तर्गत राज्य के विश्वविद्यालयों/अंगीभूत महाविद्यालयों के आधारभूत सुविधाओं के विकास के लिए रू० 67,35,00,000/–(सड़सठ करोड़ पैतीस लाख) मात्र की राशि की बिहार आकस्मिकता निधि से स्वीकृति के संबंध में।	**51**	**स्वीकृत।**

स्वास्थ्य विभाग

52.	राज्य के विभिन्न चिकित्सा शिक्षण संस्थानों एवं विभिन्न चिकित्सा महाविद्यालय अस्पतालों के विभिन्न तात्कालिक अपरिहार्य आवश्यकताओं को पूरा करने हेतु कुल रू० 89,30,21,000/–(रूपये नबासी करोड़ तीस लाख एक्कीस हजार) मात्र की बिहार आकस्मिकता निधि अग्रिम की स्वीकृति।	**52**	**स्वीकृत।**